



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266584
CG-DL-E-01102025-266584
XXXUI/EXXX

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 637]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 721(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बायलर परिचर नियम, 2011 उन बातों के सिवाय अधिकांत् करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से बायलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;
- (ख) “बायलर परिचर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (ग) “अध्यक्ष” से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “मुख्य निरीक्षक” कि वही अर्थ होगा जो उसका उक्त अधिनियम, के खंड (ड) के अधीन है;
- (ङ) “समिति” से इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक समिति अभिप्रेत है;
- (च) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (छ) “सरकार” से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है;
- (ज) “सचिव” से समिति का सचिव अभिप्रेत है;
- (झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ञ) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों का कोई संदर्भ के अंतर्गत किसी इकानामाईजर या इकानामाईजरों के संदर्भ में भी लिया गया समझा जाएगा।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में है।

अध्याय 2

साधारण

3. बायलर परिचर प्रमाणपत्र का धारक व्यक्ति बायलर का प्रभारी होगा.— एकल बायलर या दो या अधिक बायलरों जो एक श्रृंखला में संबद्ध हैं या अनेक पृथक व्यष्टिक बायलरों का स्वामी नियम 23 में यथाउल्लिखित किसी बायलर परिचर के साथ-साथ ऐसी संख्या में बायलर परिचरों को रखेगा जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर इन नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी बायलर परिचर को किसी बायलर के प्रभार तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात कोई व्यक्ति को जो इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति को परिचर और किसी आकार के किसी बायलर या बायलरों के प्रभारी होने से विवर्जित नहीं करेगी और ऐसा प्रमाणपत्र इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इन नियमों के अधीन दिया गया समझा जाएगा।

4. सक्षम व्यक्ति का प्रमाणपत्र धारण करना और अर्हता का विस्तार- कोई व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र नहीं रखता है किसी बायलर का प्रभार धारण करने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं समझा जाएगा ।

5. प्रमाणपत्र पेश करना.—इन नियमों के अधीन सक्षमता का प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचर अपने प्रभार या परिचर्या में किसी बायलर की अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त अवधि के ऐसे प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए बाध्यकर होगा जब धारा 20 के अधीन किसी प्रमाणपत्र को पेश करने के लिए मांग करने के लिए ऐसा व्यक्ति सशक्त है, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश मांग सकेगा ।

6. प्रमाणपत्र की विशिष्टियों को मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को स्वामी द्वारा पेश करना. - (1) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को प्रभारी के रूप में नियुक्त करता है ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक

या निदेशक बायलर, जैसा भी मामला हो, को ऐसे व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां जिसके अंतर्गत उसके प्रमाणपत्र का क्रम संख्या, तारीख और जारी करने का स्थान भी है, देगा।

(2) किसी बायलर का स्वामी जो किसी व्यक्ति को ऐसे बायलर को प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त करता है ऐसे व्यक्ति के अपने नियोजन को छोड़ने की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इस तथ्य की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर, जैसा भी मामला हो, को सात दिनों के भीतर देगा।

7. उपस्थिति, निर्मुक्ति और कार्रवाई की परिधि की दैनिक अवधि की सीमा. - (1) किसी बायलर का प्रभारी व्यक्ति सीधे और तत्काल प्रभार में समझा जाएगा जब वह ऐसे बायलर से दस मीटर की दूरी के भीतर है।

(2) किसी बायलर या बायलरों का प्रभारी व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र की अपेक्षा है किसी एक दिन में दो अवधियों से अधिक के लिए प्रभार से मुक्त नहीं होगा जिसे किसी परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र धारक किसी व्यक्ति द्वारा दो घंटे से अनधिक अवधि नहीं होगी।

(3) किसी बायलर परिचर के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाणपत्र का धारक मुख्य निरीक्षक या निदेशक, बायलर, जैसा भी मामला हो, की लिखित सहमति से भी किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में व्यवसायिकता का प्रमाणपत्र धारक कोई व्यक्ति किसी अवधि के लिए जो लगातार दस दिनों तक विस्तारित हो सकेगी जिसे विशेष परिस्थितियों में मुख्य निरीक्षक या निदेशक, जैसा भी मामला हो, बायलर किसी भी समय तीस दिनों की अनधिक समयावधि तक विस्तारित कर सकेगा।

8. जब बायलर उपयोग में समझा जाएगा. - (1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बायलर को तब उपयोग में समझा जाएगा जब बायलर में पानी को गर्म करने के प्रयोजन के लिए या बैंक फावर दशा के अधीन भट्टी आग बक्से में या फायर स्थान में आग है और किसी बायलर को उपयोग में नहीं समझा जाएगा जब अग्नि को पटा दिया गया हो और संपूर्ण वाष्प और जल संयोजन बंद कर दिए गए हों।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को उपयोग में समझा जाएगा जब वहां चिमनी गैसों का प्रवाह हो रहा है या इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर में ऊष्मा माध्यम से भिन्न और पानी और उष्मित गैसों या माध्यम के मध्य ऊष्मा स्थानांतरण होता है।

अध्याय 3

परीक्षकों की समिति

9. परीक्षकों की समिति का गठन.— (1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए परीक्षकों की समिति का गठन होगा, जिसमें मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक, जैसा भी मामला हो, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या उनके समतुल्य जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट हो, और कम से कम तीन ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर व्यवहार के शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान रखते हों, जो समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त होंगे।

(2) मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक, जैसा भी मामला हो, पदेन अध्यक्ष होंगे और उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या उनके समतुल्य जो मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट हो, समिति के पदेन सचिव होंगे।

10. सदस्यों की पदावधि. - समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और यदि कोई सदस्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को स्थायी रूप से छोड़ देता है या समिति की अनुज्ञा के बिना तीन लगातार बैठकों से अपने को अनुपस्थित रखता है तो ये समझा जाएगा कि उसने समिति के अपने स्थान को रिक्त कर दिया है और अन्य व्यक्ति उसकी पदावधि के शेष भाग के लिए उसके स्थान पर नियुक्त होगा।

11. समिति के कृत्य. - परीक्षकों की समिति -

(i) किसी बायलर परिचर प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा का संचालन करेगी;

(ii) किसी परीक्षा के लिए किसी व्यक्ति को पेपर सेटर या परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी;

(iii) किसी बायलर परिचर को प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना; और

(iv) बायलर परिचर के भाग पर मद्यपता, कर्तव्य की उपेक्षा या उसके भाग पर अवचार के अभिकथन की जांच रिपोर्ट पर विचार करना।

12. समिति की बैठक. - समिति की बैठक जब अध्यक्ष की राय में इसके कारबार के संचालन के लिए आवश्यक हो, और ऐसे स्थान तथा ऐसे समय पर हो सकेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए।

13. बैठक की सूचना और कारबार की सूची. - (1) समिति की प्रत्येक बैठक के लिए समिति के प्रत्येक सदस्य को दिए गए समय और नियत स्थान की सूचना डाक की तारीख से पंद्रह दिन से अन्यून देनी होगी और ऐसी सूचना के साथ बैठक में विचार के लिए उसके कारबार की सूची संलग्न होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में अत्यावश्यक है, विचार करने हेतु कोई बैठक बुलाता है तो सूचना देने के लिए ऐसे युक्तियुक्त समय को, जो वह आवश्यक समझे, पर्याप्त समझा जाएगा;

(2) कोई कारबार जो सूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय उस पर बैठक में विचार नहीं होगा।

14. गणपूर्ति. - गणपूर्ति अध्यक्ष या सचिव और परीक्षकों की समिति के दो सदस्य से होगी ।

15. अध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा.- अध्यक्ष समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

16. समिति का सचिव के कृत्य. - समिति का सचिव सक्षमता प्रमाणपत्र धारक बायलर परिचरों का रजिस्टर रखेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट या अध्यक्ष द्वारा समय समय पर दिए गए निदेश के अनुसार ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

17. आवेदन पर समिति का पृष्ठांकन. - समिति प्रत्येक आवेदक के मुद्रित आवेदन प्ररूप पर यथास्थिति, बायलर परिचर वर्ग-1 और वर्ग-2 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए उसकी परीक्षा के परिणाम पर पृष्ठांकन करेगा और पृष्ठांकित आवेदन सचिव को वापस होगा।

18. समिति की प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति- समिति, प्रत्येक अभ्यर्थी को जो उसके सदस्यों के बहुमत की राय में वृद्ध या अंग विकार के माध्यम से शारीरिक रूप से अनुपयुक्त, कमजोर गठन या दोषपूर्ण दृष्टि या

बहरापन या किसी अंग की क्षति के कारण, किसी बायलर परिचर की कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होता है से किसी चिकित्सक जो सरकार या भारत सरकार की किसी चिकित्सा परिषद में पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो से उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने का निदेश दे सकेगी। तथापि, यदि अभ्यर्थी समिति को शारीरिक उपयुक्तता का प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है तो समिति को बायलर परिचर के रूप में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र को जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी।

19. **परीक्षकों की फीस.** - परीक्षक समिति का प्रत्येक सदस्य और अध्यक्ष तथा सचिव के सिवाय नियम 9 के अधीन नियुक्त प्रत्येक अन्य परीक्षक, समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस प्राप्त करने का हकदार होगा और फीस की न्यूनतम दर निम्नानुसार होगी:-

(क) समिति की बैठक के लिए गैर पदेन समिति सदस्यों के लिए बैठक की फीस - 1000/- रुपए

(ख) प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए फीस 50/- रुपए

20. **समिति की कार्रवाइयां.** — समिति की कोई कार्रवाई, समिति के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर या समिति में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 4

परीक्षा

21. **परीक्षा.**- समिति द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा ऐसे स्थान और ऐसी तारीख पर होगी पर जो समिति द्वारा, समय-समय पर विनिश्चित की जाएं, आयोजित की जाएगी।

22. **परीक्षा का मुलतवी होना.** - जब परीक्षा के लिए नियत किसी दिन राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है या जब किसी अकल्पित कारण के लिए नियत दिन पर किसी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है अध्यक्ष, किसी अन्य दिन को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों और परीक्षक समिति की सदस्यों को भी सम्यक् रूप से सूचित करेगा।

अध्याय 5

प्रमाणपत्र

23. **प्रमाणपत्रों के वर्ग और प्रमाणपत्र धारकों की सक्षमता.** -

(1) इन नियमों में जैसा उपबंधित है सिवाय उसके अधीन प्रदान किए जाने वाले सक्षमता प्रमाणपत्र के दो वर्ग होंगे। प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक जो किसी भी प्रकार के वाष्प पाइपों के साथ किसी एकल बायलर या धारिता या किसी श्रृंखला में दो या अधिक बायलर या बहुत से पृथक व्यष्टिक बायलरों का, कुल उष्मित पृष्ठ जो एक हजार वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी, का प्रभारी होगा, परंतु ऐसे बायलर उसी परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के भीतर स्थित होंगे और एक ही स्वामी के होंगे तथा वह एक दूसरे वर्ग के बायलर परिचर या ऐसी फायरमैनो की ऐसी संख्या द्वारा सहायता प्राप्त होगी जो मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवश्यक समझी जाए।

(2) दूसरे वर्ग का प्रमाणपत्र का अर्हताप्राप्त धारक किसी भी प्रकार की ऊष्मा पाइप के साथ एकल बायलर जिसकी कुल उष्मित पृष्ठ दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक नहीं होगी, का धारक होगा।

(3) तथापि, द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर, तीन से अनधिक संयोजित बाँयलरों वाले बाँयलरों की एक श्रृंखला की देखभाल कर सकता है, जिनका कुल तापन सतह क्षेत्रफल दो सौ वर्ग मीटर से अधिक न हो और ऐसे बायलर एक ही परिसर में तीस मीटर की त्रिज्या के भीतर स्थित होंगे और एक ही स्वामी के होंगे।

परन्तु बायलर परिचर को उतनी संख्या में अग्निशामकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जितनी मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक, जैसा भी मामला हो, आवश्यक समझें।

(4) इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व, किसी सरकार द्वारा उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व जारी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला बायलर परिचर, सक्षमता प्रमाणपत्र में उल्लिखित बाँयलरों का प्रभारी बनने का पात्र होगा।

24. किसी प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन.- (1) बायलर परिचर के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के पास शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, आवेदन करने पर, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में, जिसमें वह सेवाओं के लिए आवेदन करता है, इन नियमों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य पृष्ठांकित प्रमाणपत्र होना चाहिए और ऐसा पृष्ठांकन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके पास राज्य व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी बायलर परिचर का प्रमाण-पत्र हो और जिसके पास स्टीम बायलर पर फायरमैन या ऑपरेटर या सहायक फायरमैन या सहायक ऑपरेटर के रूप में कम से कम एक वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव हो, उस राज्य की समिति के अध्यक्ष को द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के समकक्ष प्रमाणपत्र के लिए पृष्ठांकन हेतु आवेदन कर सकता है।

(3) भारतीय नौसेना का कोई इंजीनियरिंग नाविक, अर्थात् इंजन कक्ष कारीगर या मैकेनिक या इंजीनियरिंग मैकेनिक, जिसके पास किसी भारतीय नौसेना पोत के इंजीनियरिंग अधिकारी और कमान अधिकारी द्वारा जारी सहायक मशीनरी निगरानी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र हो, आवेदन करने पर उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में, जिसमें वह सेवाओं के लिए आवेदन करता है, द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के समकक्ष होने का पृष्ठांकित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा: परन्तु ऐसा अनुमोदन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(4) भारतीय नौसेना का कोई इंजीनियरिंग नाविक, अर्थात् इंजन कक्ष कारीगर या मैकेनिक या इंजीनियरिंग मैकेनिक, जिसके पास भारतीय नौसेना पोत के इंजीनियरिंग अधिकारी और कमान अधिकारी द्वारा जारी बायलर कक्ष निगरानी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र है, आवेदन करने पर, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में, जहाँ वह सेवाओं के लिए आवेदन करता है, प्रथम श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य होने का पृष्ठांकित प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा: परन्तु ऐसा पृष्ठांकन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

25. फीस.- प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन के लिए संदत्त फीस 200/- रुपये (मात्र दो सौ रुपये) जो अप्रतिदेय होगी और फीस का भुगतान खजाना चालान या ऑनलाइन भुगतान के ऐसे अन्य तरीके सहित, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, के माध्यम से किया जाएगा।

अध्याय 6

परीक्षा हेतु आवेदन

26. आवेदन का प्ररूप.- (1) परीक्षा हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में होगा।

- (2) आवेदक प्ररूप का वह भाग भरेगा जो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना है और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
 (3) भरा हुआ आवेदन सचिव को भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे -

(क) शैक्षणिक अर्हताओं, प्रयोगात्मक अनुभव के संबंध में प्रमाणपत्रों में प्रत्येक की एक स्वप्रमाणित प्रति और साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे;

(ख) अपने नियोजक से अच्छे चरित्र के शंसापत्र के साथ उम्र का प्रमाणपत्र;

(ग) जिस परीक्षा में आवेदक उपस्थित होना चाहता है, उसके लिए इन नियमों में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के समर्थन में खजाना चालान की एक प्रति या ऑनलाइन भुगतान के ऐसे अन्य तरीके सहित भुगतान का ऐसा तरीका, जैसा कि परीक्षा के लिए सूचना या विज्ञापन या विवरणिका में निर्दिष्ट है; और

(घ) हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (आकार 50 मिमी x 65 मिमी) की दो प्रतियां, जिनमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे:

परंतु यदि परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, तो इस नियम में उल्लिखित शंसापत्र, फीस, फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किए जाएंगे, जैसा कि परीक्षा के लिए सूचना या विज्ञापन या विवरणिका में निर्दिष्ट है।

27. अभ्यर्थी का समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना. - (1) कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं होगा जो अपने अनुभव सक्षमता और अपनी अर्हताप्राप्त सेवा की संपूर्ण अवधि या अर्हताप्राप्त सेवा की अवधि में किसी बिना खाते के खंडता के लिए अच्छे आचरण का समाधानप्रद शंसापत्र का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है। ऐसा शंसापत्र में स्पष्टतः यह अधिकथित होगा कि अभ्यर्थी किस क्षमता में नियुक्त था जैसे प्रशिक्षु परिचर या द्वितीय वर्ग बायलर परिचर आदि और ऐसे नियोजन की अवधि की तारीखें जिसके मध्य ऐसा अभ्यर्थी नियोजित था।

(2) ये शंसापत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और उस पर मिल, कारखाना या वर्कशॉप के स्वामी या अभिकर्ता या इस निमित्त सरकार द्वारा विहित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

(3) अभ्यर्थी जिसने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षण का कोई पाठ्यक्रम किया है, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में लगी अवधि में दिए गए प्रधानाचार्य या संस्थान के अधीक्षक से पाठ्यक्रम का या तो प्रमाणपत्र/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) वाष्प पोत में सेवा के संबंध में किसी शंसापत्र पर मुख्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो सकेगा और प्रतिहस्ताक्षर पोत के मास्टर द्वारा या किसी शिपिंग मास्टर द्वारा जारी किसी नाविक का निर्वहन प्रमाणपत्र के प्ररूप में हो सकेगा।

(5) रेल बायलर या किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय के बायलरों में सेवा का शंसापत्र किसी उत्तरदायी प्राधिकारी जिसके अधीन अभ्यर्थी ने सीधे सेवा की है द्वारा हस्ताक्षरित होगा और प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विभाग के प्रमुख द्वारा होगा।

28. शंकाप्रद शंसापत्र. - यदि सचिव किसी आवेदन या शंसापत्र में किए गए किसी कथन की सत्यता पर कोई शंका का कारण रखता है वह ऐसी जांच कर सकेगा जो उसके सत्यापन के लिए वह उचित समझे।

29. मिथ्या शंसापत्र. - (1) यदि सचिव को जांच पर यह समाधान हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए किसी शंसापत्र में कोई तात्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं वह अध्यक्ष को अपने निष्कर्ष भेजेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश से विवर्जित कर सकेगा। यदि ऐसी शंसापत्र की सामर्थ पर कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में पहले से ही प्रवेश ले लेता है वह ऐसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा और जो ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर घोषित किया गया है पर उसे दिए गए प्रमाणपत्र को तत्काल वापस लिया जाएगा और रद्द किया जाएगा:

परंतु इस नियम के अधीन आवेदक को विषय में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित होता है आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

30. आवेदन और शंसापत्रों की प्रतियों को रखना.- अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए आवेदन और शंसापत्रों की प्रतियां अध्यक्ष के कार्यालय में या परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी द्वारा रखी जाएंगी। मूल शंसापत्र अभ्यर्थी को यथासंभवशीघ्र वापस होंगे।

अध्याय 7

पात्रता मानदंड

31. द्वितीय वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए उम्र, अर्हताएं और अनुभव. -

द्वितीय वर्ग के किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए कोई अभ्यर्थी बीस वर्ष की उम्र से अन्यून नहीं होगा और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेसन या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न हो; और

(ख) और उसने किसी वाष्प बायलर पर फायरमैन या प्रचालक या पंप मैन या वाटर मैन या सहायक फायरमैन या सहायक प्रचालक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो; या

(ग) किसी फिटर के रूप में जहां बायलर विनिर्मित, या परिनिर्मित प्रचालित या मरम्मत होते हैं, में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो। इसके साथ-साथ वह एक वर्ष से अन्यून सहायक फायरमैन के रूप में सेवा की हो; या

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र धारक की दशा में, लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष से अन्यून अनिवार्य रूप से सेवा की हो।

32. प्रथम वर्ग बायलर परिचर अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित उम्र, अर्हताएं और अनुभव. -

प्रथम वर्ग बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की उम्र बाईस वर्ष से अन्यून न होगी और यह द्वितीय वर्ग का प्रमाणपत्र धारक हो और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि वह :-

(क) द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ बायलर परिचर के रूप में किसी बायलर के एकल भारसाधक के रूप में जिसकी रेटेड उष्मित सतह पचास वर्गमीटर से अन्यून नहीं है, के भारसाधक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा न की हो; या

(ख) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से कोई प्रमाणपत्र कि उसने तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा किया है जिसमें से एक वर्ष उसने किसी मिल, कारखाने या किसी इंजीनियरी वर्कशाप जहां इंजन और बायलर की मरम्मत या निर्मित किए जाते हैं, में प्रशिक्षुता की है और इसके साथ उसने द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ पचास वर्गमीटर उष्मित क्षेत्र से अन्यून किसी बायलर के एकल कार्यकारी व्यवहार के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा की है का प्रमाणपत्र देता है; या

(ग) पचास वर्गमीटर से अधिक उष्मित सतह रखने वाले किसी बायलर पर प्रथम वर्ग बायलर परिचर के प्रभार के अधीन द्वितीय वर्ग बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ फायरमैन या सहायक फायरमैन के रूप में दो वर्ष से अन्यून कार्य किया है।

अध्याय 8

परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

33. द्वितीय वर्ग बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण. - कोई अभ्यर्थी द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अर्हक होने के क्रम में परीक्षकों को समाधानप्रद रूप में अन्य बातों के साथ-साथ -

(क) वह स्पष्ट रूप से समझता हो

- (i) वह किसी वाष्प बायलर और इकोनोमाइजर की कार्यकरण और प्रबंध को;
- (ii) विभिन्न वाल्वों, टोंटियां, स्थापन और फिटिंग्स का उपयोग और प्रयोजन;
- (iii) आग प्रारंभ करने और जब वाष्प उठने लगे से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां और प्रक्रिया;
- (iv) भरक पंप और इंजेक्टर का उपयोग;
- (v) दाब गेज को पाठन;
- (vi) आवधिक सफाई और शुद्ध जल प्रदाय तथा मापक या अन्य उष्मित सतह पर अन्य जमाव को रोकने के लिए आवश्यकताएं;

- (vii) बायलर का आवधिक निरीक्षण के लिए आवश्यकता और वह रीति जिसमें विस्तृत निरीक्षण, हाइड्रोलिक जांच और वाष्प जांच के लिए तैयारी होगी;
- (viii) बायलर जो वाष्प के अधीन किसी अन्य बायलर से संबद्ध है में किसी व्यक्ति के प्रवेश या अनुज्ञात करने से पहले ली जाने वाली पूर्वावधानियां;
- (ix) धुंए को रोकने के लिए आग के उचित साधन का उपयोग;
- (x) वाष्प नली में पानी के जमाव का खतरा और निकास के लिए प्रेक्षण की पूर्वावधानियां;
- (xi) पानी की कमी या भट्टी या फ्लैट प्लेट का उभरना या टूटफूट या नालिकाओं का फट जाना या बायलर या वाष्प नली में किसी दुर्घटना का होना;
- (xii) पूर्वावधानियों का लेना जब किसी इकोनोमाइजर या कार्य किसी विराम की अवधि के पश्चात् प्रारंभ होता है; और
- (xiii) कमीशन में किसी इकोनोमाइजर को लाने में अंगीकृत किया जाने वाला प्रक्रिया और स्टीम पर जब बायलर है उसे कमीशन आउट करने में भी रखना।

(ख) वह सक्षम है-

- (i) किसी बायलर में कोयले भरने के साथ-साथ उसे साफ करने और कर्मकार के समान रीति में आग को किनारे करने में सक्षम है;
- (ii) अपूर्ण दहन से बचने के तरीके समझाना;
- (iii) जलप्रमापी कांच और जांच टोंटी को फूंक माध्यम से और शुद्धता की जांच में;
- (iv) किसी माप कांच को बदलना और मिथ्या जल स्तर को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, को प्रदर्शित करने में सक्षम होना;
- (v) किसी सुरक्षा वाल्व को ढीला करना और किसी नीचे बहाव टोंटी या वाल्व का बहाव करने में उपयोग करना;
- (vi) किसी उच्च वाष्प और निम्न जल सुरक्षा वाल्व को समायोजित करने और किसी गलनीय डाट को बदलना;
- (vii) पंप को लगाने या वाल्व पेटी ग्रंथी को भरना;

- (viii) टोंटी को वाल्वों को घिसने और उनको समायोजित करना;
- (ix) भरण पंप या हिस्से को भरने और उनको कार्य करने के दौरान बदलना; और
- (x) इकोमोनाइजर को साफ रखने के लिए दिए गए उपकरणों का उपयोग करना।

34. प्रथम श्रेणी बायलर परिचर के लिए पाठ्यविवरण. - किसी अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए अर्हत होने के क्रम में परीक्षकों का यह समाधान करना होगा कि द्वितीय श्रेणी की सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए विनिर्दिष्ट विषयों के साथ-साथ वह दहन, ऊष्मा और वाष्प से संबंधित प्रमुख प्रारंभिक तथ्यों का कम से कम प्राथमिक ज्ञान रखता है; और वह, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषयों को स्पष्ट करने में सक्षम होगा -

- (क) वाष्प बायलर, उच्च उष्मक और इकोमोनाइजर के कार्यकरण और प्रबंधन;
- (ख) विभिन्न वाल्वों, टोंटी माउंटिंग, फिटिंग और अन्य सुरक्षा युक्तियों का उपयोग और उनका प्रयोजन;
- (ग) भरक पंप, भरक अंतःक्षेपित्र, भरक विनियामक, भरक जल निस्स्यंदक और मृदुकार, भरक तापक, वायु तापक, उष्मक, वाष्प संचायक, प्रणोदित वात प्रवाह, प्रेरित वात प्रवाह और स्वचालित वात प्रवाह नियंत्रक युक्तियों के विवरणों और उनके कृत्यों को करना;
- (घ) दहन, ऊष्मा और वाष्प तथा किसी भूमि बायलर में कोयला और पानी तथा वाष्प के परिमाण के खपत की गणना करना जो विभिन्न वात प्रवाह के अधीन अष्मित सतह के दिए गए जालिका क्षेत्र से उत्पन्न हो सकेगा और बायलर प्लांट की संपूर्ण सक्षमता का परिकलन करने से संबंधित तथ्यों पर प्रश्नों के उत्तर देगा;
- (ङ) धुंए को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य साधित्रों की सार्थकता को और वो सिद्धांत जिसपर वह कार्य करते हैं तथा मुख्य यांत्रिक स्टोकर, प्रेषणी, गैस, तेल और चुर्नित ईंधन प्रणाली में उपयोग का वर्णन करने में सक्षम होंगे ;
- (च) आवधिक सफाई की आवश्यकता को पपड़ी या उष्मित सतह के अन्य जमाव को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां तथा भरक जल में कतिपय पीएच मान को बनाए रखने के लिए आवश्यकताएं;
- (छ) बायलर में त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने के साधन और पद्धतियों को वर्णित करना;
- (ज) किसी बायलर को प्रारंभ करने के लिए जाने वाली पूर्वावधानियां और ठंड से या आग के डेर की दशा में से इकोमोनाइजर को प्रारंभ करने की पूर्वावधानियां को करना;

- (झ) जब बायलर में वाष्प है में किसी इकोमोनाइजर को कमीशन से बाहर रखने के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया को करना;
- (ञ) ईंधन मितव्ययता को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और किसी बायलर हाउस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना;
- (ट) संक्षारण और पपड़ी के मुख्य कारण और उनका प्रभाव और अपनाए जाने वाले सामान्य उपचार;
- (ठ) जल मृदुकार के उपयोग का उद्देश्य;
- (ड) सिद्धांत जिस पर भरक पंप और अंतःक्षेपित्र कार्य करते हैं;
- (ढ) सिद्धांत जिस पर ध्रुं को रोकने के लिए साधित्र कार्य करते हैं; और
- (ण) उच्च तापक, इकोमोनाइजर, भरक तापक, भरक निस्यंदक, सशक्त और प्रेरित वात प्रवाह उपस्करों और यांत्रिक कोयला भरक का प्रयोजन।

अध्याय 9

परीक्षा का ढंग

35. **परीक्षा की प्रकृति.** - किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा की प्रकृति ऐसी होगी कि वाष्प उत्पन्न करने वाले बायलरों के प्रभारी होने में अभ्यर्थियों की व्यवहारिक सक्षमता और तकनीकी ज्ञान की जांच की जा सके।

36. **परीक्षा के लिए विषय.**- परीक्षा निम्नलिखित रीति में आयोजित होगी :-

- (क) बायलर व्यवहार से संबंधित प्रश्नोत्तर की मौखिक परीक्षा; और
- (ख) परीक्षक द्वारा यदि अपेक्षित हो तो परीक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना या किसी बायलर हाउस में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को निष्पादन की उसकी सक्षमता प्रदर्शित करना।

37. **परीक्षा के लिए फीस.**- (1) किसी अभ्यर्थी को सक्षमता के प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय करना होगा:-

(क) प्रथम वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा: 1000/- रुपए (एक हजार रुपए); और उस पर यथा लागू माल और सेवा कर।

(ख) द्वितीय वर्ग प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा: 600/- रुपए (छः सौ रुपए); और उस पर यथा लागू माल और सेवा कर।

(2) फीस खजाना चालान या ऑन लाइन भुगतान माध्यम सहित ऐसे अन्य ढंग से जो नोटिस या विज्ञापन या विवरण पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त होगी ।

38. **फीस का प्रतिदाय.** - कोई अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में एक बार प्रवेश कर लेने पर फीस के किसी प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा और जब कोई अभ्यर्थी नियत तिथि को परीक्षा में अपरिहार्य अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष अगली परीक्षा में दूसरी फीस के संदाय के बिना उसे उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

39. **अपात्र पाए गए अभ्यर्थी की फीस.** - कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा फीस का संदाय कर देता है किन्तु किसी परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है, उक्त फीस समपहरण कर ली जाएगी।

अध्याय 10

प्रमाणपत्र प्रदान करना

40. **सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान करना.** - उन अभ्यर्थियों के व्यौरे जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं समिति द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और उन्हें परिणाम की घोषणा के पश्चात् सक्षमता के प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

41. **प्रमाणपत्र का प्ररूप.**- किसी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र यथास्थिति, प्ररूप 'ख' या प्ररूप 'ग' में होगा और यह भौतिक या डिजिटल स्वरूप में जारी किया जा सकेगा।

42. **प्रमाणपत्रों की वैधता.**- (1) किसी भी समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी को दिया गया बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में वैध होगा, परंतु बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यक्ति अपने सक्षमता प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से या ई-मेल द्वारा संबंधित सरकार के मुख्य निरीक्षक या बायलर निदेशक को सूचना देगा, जिसमें वह सेवाओं के लिए आवेदन करता/करती है या एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाओं का परिवर्तन होता है।

(2) सक्षमता प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक प्रमाणपत्र धारक पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता।

43. **पहचान की अपेक्षा.** - इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र पर नियम 26 के अधीन उसके आवेदन के साथ पूर्व में यथास्थिति, जमा किए गए या अपलोड किए गए धारक के वक्ष तक का चित्र होगा और उसके हस्ताक्षर और ऐसे अन्य विवरण जो पहचान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, होंगे।

44. **प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करना.** - (1) जब किसी प्रमाणपत्र का धारक अध्यक्ष को समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदान किया गया प्रमाणपत्र खो, चोरी या नष्ट या विकृत हो गया है उसे 200/- रुपए (दो सौ रुपए केवल) की फीस के संदाय पर प्रदान किया जाएगा, उपर्युक्त को ऐसे अभिलिखित करते हुए जिसे प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी की गई है वह उसका हकदार प्रतीत होता है, उसकी सभी प्रयोजनों के लिए मूल प्रमाणपत्र के समान विधिमान्यता होगी। फीस, खजाना, चालान या ऑनलाइन भुगतान माध्यम सहित अन्य ढंग से जो इस निमित्त सरकार अधिसूचित करे, द्वारा संदत्त होगी।

(2) यदि जांच में सचिव का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कथन मिथ्या है वह समिति की अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और समिति का यह विवेक होगा कि वह प्रमाणपत्र या तत्काल उपर्युक्त द्वितीय प्रमाणपत्र को जारी करने की अनुज्ञा या समिति बारह मास से अनधिक ऐसी अवधि के पश्चात् प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की बाबत उचित समझे निरस्त कर सकेगी।

45. **प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन.** - प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन अध्यक्ष को इस संबंध में पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति और एक स्व-घोषणा के साथ किया जाएगा जिसमें यह कहा गया हो कि इन नियमों के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र खो गया है।
46. **मूल प्रमाणपत्र की अविधिमान्यता.** - किसी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के जारी होने पर मूल प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यदि उसके धारक के कब्जे में है तो वह अध्यक्ष के कार्यालय को निरस्त करने के लिए वापस करेगा।
47. **प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख.** - इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सभी प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलिखित होगी।

अध्याय 11

जांच

48. **प्रमाणपत्र धारक के संबंध में जांच.** - यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निरीक्षक या निदेशक बायलर को चाहे किसी भी कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन सक्षमता के प्रमाणपत्र धारक किसी बायलर परिचर पर अक्षमता, मद्यता, कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा का अभिकथन किया गया है तो स्वयं ऐसी जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकेगा, और -

(क) उस व्यक्ति की उपस्थिति में कार्यवाहियां संचालित होंगी जिसका आचरण जांच का विषय है और उसे कोई कथन करने का और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देने का अवसर दिया जाएगा;

(ख) किसी ऐसी जांच की कार्यवाहियों उसके निष्कर्षों के साथ जांच का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा समिति को विनिश्चय के लिए उस अधिकारी द्वारा भेजे जाएंगे।

49. **प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.** - जब नियम 48 के अधीन कोई जांच संचालित की जाती है, ऐसे प्रमाणपत्र का धारक जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपने प्रमाणपत्र को ऐसी जांच के परिणाम के लंबित होने तक उक्त अधिकारी को तत्काल अभ्यर्पित करेगा।

50. **समिति का विनिश्चय.** - (1) नियम 48 के अधीन संचालित किसी जांच की कार्यवाहियों के साथ उन पर निष्कर्ष की प्राप्ति पर, समिति प्रमाणपत्र को बनाए रखने या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने के लिए जो वह उचित समझे या प्रमाणपत्र को स्थायी रूप से रद्द करने का लिखित आदेश कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई कार्यवाई करने से पहले अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (3) के अधीन आदेश या विनिश्चय की एक प्रति, समिति द्वारा निम्नलिखित को भी भेजी जाएगी: -

(क) अन्य सभी सरकारों के बायलरों के मुख्य निरीक्षकों या निदेशकों को, और

(ख) तकनीकी सलाहकार को।

भाग 3: शंसापत्रों और सेवा विवरणों की सूची

(शंसापत्रों को नीचे दिए गए स्तंभ (1) में दी गई संख्याओं के अनुरूप क्रमवार लिखा जाए)

| शंसापत्रों की क्रम सं. | शंसापत्र की तिथि | शंसापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम | कारखाने या कार्यशाला का पता जहां कार्यरत हैं | जिन बाँयलरों पर काम किया गया उनकी संख्या, प्रकार और तापन सतह | जिस क्षमता में कार्यरत हैं |
|------------------------|------------------|---|--|--|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

| आवेदक की सेवा | | अवधि जिसके लिए नियोजित किया गया | | | आवेदक द्वारा नहीं भरा जाना है | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|------|------|-------------------------------|---------|
| प्रारंभ की तिथि | समाप्ति की तिथि | वर्ष | माह | दिन | सत्यापनकर्ता का आद्याक्षर | टिप्पणी |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | |

कुल सेवा:

सेवा की वह अवधि जिसके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए:

सेवा की वह अवधि जिसके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

भाग 4 – आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप के भाग 1, 2 और 3 में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं; और भाग 2 में सूचीबद्ध और इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत किए गए कागजात सत्य और असली दस्तावेज़ हैं और इसके अतिरिक्त, इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत किए गए कागजातों की प्रतियां सत्य और सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भाग 3 में दिए गए कथनों में बिना किसी अपवाद के मेरी संपूर्ण सेवा अवधि का सही और सटीक विवरण है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ, शुद्ध अंतःकरण से यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह सत्य है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

हस्ताक्षर.....

पद का नाम

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

टिप्पण:- 1. प्रत्येक आवेदन के साथ अपेक्षित फीस के रूप में खजाना चालान या भुगतान का कोई अन्य माध्यम, जिसमें ऑनलाइन भुगतान का तरीका भी शामिल है, का प्रमाण संलग्न किया जाएगा, जैसा कि परीक्षा के लिए नोटिस या विज्ञापन या विवरणिका में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

2. ऑफ-लाइन आवेदन के मामले में, आवेदक की हाल की बक्ष तक की एक फोटो की दो प्रतियां (आकार 50 मिमी x 65 मिमी) आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी, जिसके पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।

3. परीक्षा में प्रवेश के लिए मिथ्या बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

4. अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

भाग 5

(आवेदक द्वारा नहीं भरा जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ की प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा ली गई है और वह _____ के दौरान आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुए हैं।

प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना, जब उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो।

प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक _____ को जारी की गई और उसकी दूसरी प्रति दर्ज की गई।

(सचिव)
परीक्षकों की समिति

प्ररूप ख
(नियम 41 देखें)

(प्रथम श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र)
(बायलर परिचर नियम, 2025 के अधीन प्रदान किया गया)

संख्या 20.....

श्रीमान/सुश्री ----- जन्म तिथि-----, जो वर्तमान में
..... में रहते/रहती हैं, ने
प्रथम श्रेणी बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनकी सक्षमता के बारे में परीक्षकों की समिति का
समाधान होने पश्चात, बायलर परिचर नियम, 2025 के अधीन, उन्हें प्रथम श्रेणी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता
प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो उन्हें किसी भी प्रकार या क्षमता के स्टीम पाइप के साथ एक बायलर या बैटरी में
स्टीम पाइप के साथ दो या अधिक बायलर या अलग-अलग का प्रभार लेने के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी कुल
तापन सतह 1000 वर्ग मीटर से अनधिक है, परंतु ऐसे बायलर एक ही परिसर में 30 मीटर की त्रिज्या दायरे में
स्थित हों और उनका एक स्वामी हो।

सक्षमता प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक प्रमाणपत्र धारक पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता।

दिनांक 20

सचिव
परीक्षकों की समिति

अध्यक्ष
परीक्षकों की समिति

विवरण नामावली

फोटो

1. जन्म तिथि
2. स्थायी पता
3. राष्ट्रीयता
4. ऊंचाई (जूते के बिना)
5. पहचान के चिह्न
6. बाएं अंगूठे का निशान
7. आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन _____

प्ररूप ग
(नियम 41 देखें)
(द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर सक्षमता प्रमाणपत्र)
(बायलर परिचर नियम, 2025 के नियम 41 के अधीन प्रदान किया गया)

संख्या 20.....

श्रीमान/सुश्री ----- जन्म तिथि-----, जो वर्तमान में..... में निवास करते/करती हैं, ने द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर के कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी सक्षमता के बारे में परीक्षकों की समिति का समाधान होने के पश्चात, बायलर परिचर नियम, 2025 के अधीन, उन्हें द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जो उन्हें किसी भी प्रकार के स्टीम पाइप वाले एकल बायलर का प्रभार संभालने के लिए प्राधिकृत करता है, जिसकी तापन सतह 200 वर्ग मीटर से अनधिक हो। तथापि, वह तीन से अनधिक जुड़े हुए बायलरों वाले बायलरों की बैटरी (जिनकी कुल तापन सतह का योग 150 वर्ग मीटर से अनधिक हो) की देखरेख कर सकते हैं, परंतु उन्हें बायलर के मुख्य निरीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार आवश्यक समझे जाने वाले फायरमैन की संख्या प्रदान की जाए।

सक्षमता प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक प्रमाणपत्र धारक पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता।

दिनांक----- 20

सचिव
परीक्षकों की समिति

अध्यक्ष
परीक्षकों की समिति

विवरण नामावली

फोटो

1. जन्म तिथि
2. स्थायी पता
3. राष्ट्रीयता
4. ऊंचाई (जूते के बिना)
5. पहचान के चिह्न
6. बाएं अंगूठे का निशान
7. आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन _____

[फा. सं. पी-30015/4/2025-बायलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 29th September, 2025

G.S.R.721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025), and in supersession of the Boiler Attendants' Rules, 2011, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I
Preliminary

1. **Short title and commencement.** –
 - (1) These rules may be called the Boiler Attendants' Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the content otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);
 - (b) "Boiler Attendant" means a person granted with a Certificate of Competency as a boiler attendant of the class under these rules;
 - (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee;
 - (d) "Chief Inspector" shall have the meaning assigned to it under clause (e) of section 2 of the said Act;
 - (e) "Committee" means the Committee of Examiners constituted under these rules;
 - (f) "Form" means a form appended to these rules;
 - (g) "Government" means the State Government or Union territory Administration;
 - (h) "Secretary" means the Secretary to the Committee;
 - (i) "Section" means a section of the Act;
 - (j) any reference in these rules to a boiler or boilers shall be deemed to include also a reference to an economiser or economisers;

(2) Words or expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER-II
GENERAL

3. **Person holding Boiler Attendant's Certificate to be in charge of Boilers.**— The owner of a single boiler or two or more boilers connected in a battery or of many separate individual boilers should have a boiler attendant as mentioned in rule 23 in addition to such number of boiler attendants as may be specified by the Chief Inspector or Director of Boilers:

Provided that the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, may permit any Boiler Attendant to remain in-charge of a boiler for a maximum period of three months notwithstanding anything contrary contained in these rules:

Provided further that nothing in these rules shall debar a person holding a first class certificate of competency granted under these rules from remaining in attendance and in charge of a boiler or boilers of any size and any such certificate shall for the purpose of these rules be deemed to have been granted under these rules.

4. **Person shall possess certificate and extent of qualification.** – No person who does not possess a certificate of competency as a boiler attendant under these rules shall be deemed a fit and proper person to hold charge of a boiler.
5. **Production of Certificate.** – Boiler attendant holding a certificate of competency under these rules shall, at all reasonable times during the period any boiler is in his charge or attendance, be bound to produce such certificate when called upon to do so by any of the persons empowered under section 20 to call for the production of a certificate or provisional order granted under the Act.
6. **Owner to furnish Chief Inspector or Director of Boilers with particulars of Certificates.** – (1) The owner of a boiler who engages any person to be in-charge thereof, shall within seven days of such engagement furnish to the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, with full particulars of such person including the serial number, date and place of issue of his certificate.
- (2) The owner of a boiler who engages any person to hold charge of such boiler, in the event of such person leaving his employment or in the event of the death of such person, report that fact within seven days to the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be.
7. **Limits of daily period of attendance, reliefs, and sphere of action.** – (1) A person in-charge of a boiler shall be deemed to be in direct and immediate charge of the same when he is within ten meters of such boiler.
- (2) A person who is in-charge of a boiler or boilers for which a certificate of competency is required under these rules may be relieved of charge in any one day for not more than two periods, which when combined do not exceed two hours, in duration by a person holding a first class certificate of competency as an attendant.
- (3) The holder of a first class certificate of competency as a boiler attendant may also with the consent in writing of the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, relieve a person holding a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer for a period which may extend to ten consecutive days which, in special circumstances, the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, may extend to any length of time not exceeding thirty days at a time.
8. **When boiler shall be deemed to be in use.** – (1) Boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is fire in the furnace fire box or fire place for the purpose of heating the water in the boiler or under banked fire condition and a boiler shall be deemed to be not in use only when the fire is removed and all steam and water connections are closed.
- (2) An economiser or waste heat boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is a flow of flue gases or other heating media past the economizer or waste heat boiler and an appreciable heat transfer takes place between the water and the heating gases or media.

CHAPTER III

COMMITTEE OF EXAMINERS

9. **Constitution of the Committee of Examiners.** – (1) A Committee of Examiners shall be constituted for the State or Union territory Administration consisting of the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, a Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent as nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers, and not less than three other members having academic and practical

knowledge of prime movers and modern boiler practices to be appointed by the Government from time to time.

- (b) The Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, shall be the *ex-officio* Chairperson and Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, shall be the *ex-officio* Secretary to the Committee.

10. **Term of office of the members.** – The term of office of each of the members other than the *ex-officio* members of the Committee shall be three years and if a member leaves the State or Union territory Administration permanently or absents himself from three consecutive meetings without the permission of the Committee, he shall be deemed to have vacated his seat on the Committee and another person may be appointed in his place for the unexpired portion of his term.

11. **Functions of the Committee.** – The Committee of Examiners shall –

- (i) conduct examinations and practical tests of candidates for the grant of certificates of competency as a Boiler Attendant first class and second class by itself or through an agency authorized by it in this behalf ;
- (ii) have power to appoint any person as a question paper setter and examiner at any examination;
- (iii) grant certificate of competency as a First class and Second class boiler attendant; and
- (iv) consider the reports of enquiries into allegations of drunkenness, negligence of duty, misconduct on the part of boiler attendants.

12. **Meeting of the Committee.** – The Committee shall meet as often as may in the opinion of the Chairperson be necessary for transacting its business and at such place and time as may be decided by the Chairperson.

13. **Notice of meeting and list of business.** – (1) Notice of not less than fifteen days shall be given in regard to the time and place fixed for each meeting of the Committee to every member of the Committee, annexing therewith the list of business to be discussed at the meeting:

Provided that if the Chairperson calls any meeting for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary, shall be deemed sufficient.

(2) Any business which is not on the list shall not be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson.

14. **Quorum.** – The Chairperson or the Secretary and two members of the Committee of Examiners shall form a quorum.

15. **Chairperson to preside at meetings of the Committee.** – The Chairperson shall preside over all meetings of the Committee and in his absence, a member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

16. **Functions of Secretary of the Committee.** – The Secretary shall maintain a register of boiler attendants holding certificates of competency and shall perform such other functions as are specified in these rules or as the Chairperson may direct from time to time.

17. **Committee's endorsement on application.** – The Committee shall endorse on the application form of each candidate the result of his examination for a certificate of competency as a first class and second class Boiler Attendant, as the case may be and the endorsed application shall be returned to the Secretary.

18. **Committee power to refuse issue of Certificate.**— The Committee may direct any candidate, who in the opinion of the majority of the members appears too old or physically unfit through deformity, constitutional weakness, defective eyesight, deafness or loss of a limb to efficiently perform the duties of a boiler attendant, to produce a certificate of fitness from a doctor registered with medical council of a Government or of Government of India or a Registered Medical Practitioner and if, however, the candidate fails to produce a certificate of physical fitness, the Committee shall have power to refuse the issue of a certificate of competency as a Boiler Attendant.
19. **Examiner's Fees.**— Each member of the Committee of Examiners and any other examiner appointed under rule 9 except Chairperson and Secretary shall be entitled to receive fees for examining candidates under these rules as decided by the Committee and the minimum rate of fees shall be as follows:-
- (a) sitting fee for non official Committee: Rs.1,000/-
members for Committee Meeting
- (b) fee for examining each candidate for
First Class or Second Class Boiler Attendant : Rs.50/-
20. **Actions of the Committee.**— No action of the Committee shall be deemed to be invalid by reasons of any defect in the constitution of the Committee or by reason of such action having been done during the period of any vacancy in the Committee.

CHAPTER IV EXAMINATION

21. **Examination.**— Examination for the grant of certificate of competency as a boiler attendant shall be conducted by the Committee or any agency authorised by it in this behalf at such places and on such dates as decided by the Committee from time to time .
22. **Postponement of examination.**— When a date fixed for the examination is declared as a Gazetted holiday or when for any unforeseen reason an examination cannot be held on the date fixed, the Chairperson may fix some other date for holding the examination and the same shall be duly intimated to the candidates and the members of the Committee of Examiners.

CHAPTER V CERTIFICATE

23. **Classes of certificates and capabilities of holders of Certificates.**—
- (1) Except as otherwise provided in these rules, there shall be two classes of certificates of competency granted hereunder. The certificate of the First Class shall qualify a holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type or capacity or two or more boilers in a battery or of many separate individual boilers, the total heating surface of which does not exceed 1000 square meters, provided that such boilers shall be situated within a radius of 30 meters in the same premises and belong to one owner and provided he is assisted by a second class boiler attendant or such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be.
- (2) A certificate of the Second Class shall qualify the holder thereof to be in-charge of a single boiler with steam pipes of any type, the total heating surface of which does not exceed two hundred square meters.

- (3) A Second Class boiler attendant may, however, attend to a battery of boilers consisting of not more than three connected boilers not exceeding two hundred square meters in aggregate of total heating surface and such boilers shall be situated within a radius of thirty meters in the same premises and belong to one owner:

Provided that boiler attendant shall be assisted by such number of firemen as are considered necessary by the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be.

- (4) A Boiler Attendant holding certificate of competency prior to publication of these rules in the official Gazette, as a Boiler Attendant issued by a Government prior to the date of notification of the said rules shall be eligible to be in-charge of a boilers as mentioned in the certificate of competency.
24. **Endorsement on a Certificate.** – (1) A person holding a National Apprenticeship Certificate in the field of Boiler Attendant under the Apprentices Act, 1961 shall on application have the certificate endorsed equivalent to the Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency under these rules, in the State or Union territory Administration in which he applies for services and such endorsement shall be made by the Chairperson of the Committee.
- (2) A person holding a certificate as Boiler Attendant issued by an Industrial Training Institute recognised by a State Board of Vocational Examination and having a post qualification experience of not less than one year in the capacity of a Fireman or Operator or an Assistant Fireman or an Assistant Operator on a steam boiler, may make an application to the Chairperson of the Committee in that State, for endorsement, to have the certificate, equivalent to the Second Class boiler attendant Certificate of Competency.
- (3) An engineering sailor of Indian Navy namely, the Engine Room Artificer or Mechanician or Engineering Mechanic in possession of Auxiliary Machinery Watch Keeping Course Certificate issued by the Engineering Officer and Commanding Officer of an Indian Naval Ship, shall on application have the certificate endorsed equivalent to Second Class boiler attendant Certificate of Competency, in the State or Union territory Administration in which he applies for services: Provided that such endorsement shall be made by the Chairperson of the Committee.
- (4) An engineering sailor of Indian Navy namely, the Engine Room Artificer or Mechanician or Engineering Mechanic in possession of Boiler Room Watch Keeping Course Certificate issued by the Engineering Officer and Commanding Officer of an Indian Naval Ship, shall on application have the certificate endorsed equivalent to the First Class boiler attendant Certificate of Competency, in the State or Union territory Administration in which he applies for services: Provided that such endorsement shall be made by the Chairperson of the Committee.
25. **Fee.** – A Fee of Rs. 200/- (Rupees two hundred only) shall be paid for endorsement on the certificate which shall not be refundable and the fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode including on-line mode of payment as the Government may, by notification, specify in this behalf.

CHAPTER VI

APPLICATION FOR EXAMINATION

26. **Form of application.** – (1) Every application for examination shall be in Form 'A'.
- (2) The applicant shall fill in such part of the Form as are to be filled in by a candidate and shall sign on it.
- (3) The filled in application shall be forwarded to the Secretary and shall be accompanied by –

- (a) one self attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, practical experience of the candidate and all original testimonials shall be produced at the time of interview;
- (b) testimonials of good character from his employer with a certificate of age;
- (c) a copy of treasury challan or such other mode of payment including on-line mode of payment, as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination in support of payment of the fee specified in these rules for the examination at which the applicant prefers to appear; and
- (d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm), one of which shall bear the signature of the applicant on the back:

Provided that in case the applications for examination are invited on-line, testimonials, fee, photographs as mentioned in this rule shall be uploaded alongwith application as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination.

27. **Candidate to produce satisfactory testimonials.** – (1) No candidate shall be admitted to an examination who can not produce satisfactory testimonials certifying his experience, ability and good conduct for the whole period of his qualifying service or any unaccounted break in the period of qualifying service. Such testimonials shall clearly state the capacity in which the candidate was employed viz. as an Apprentice Attendant or second Class boiler attendant etc. and the periods of such employment stating the dates between which candidate was so employed.

- (2) A testimonial shall be signed by a person under whom the candidate was employed and be countersigned by the owner or agent of the mill, factory or workshop or by such other persons as the Committee may lay down in this behalf.
- (3) Candidate who have undergone a course of training at an Industrial Training Institute or Technical Institution, shall produce either the certificate/diploma of course or certificate from the Principal or Superintendent of the Institution giving the period devoted in completing the course.
- (4) A testimonial in respect of service in a steamship may be signed by the Chief Engineer and countersigned by the master of the vessel or may be in the form of a seaman's discharge certificate issued by a Shipping Master.
- (5) A testimonial of service rendered on railway boilers or boilers belonging to a Government Department or local bodies, shall be signed by a responsible officer under whom the candidate has directly served and countersigned by the concerned head of the Department.

28. **Doubtful testimonials.** – If the Secretary has reason to doubt the truth of any statement made in any application or testimonials, he may make such enquiries as he thinks fit to verify the same.

29. **False testimonials.** – (1) If on enquiry, the Secretary is satisfied that any testimonial submitted by a candidate is false in any material particulars, he shall submit his findings to the Chairperson who may by a written order debar such candidate from being admitted to any examination held under these rules and if, on the strength of any such testimonials, a candidate has already been admitted to an examination, he shall be deemed to have failed in such examination and any certificate granted to him as a result of his having been declared to have passed such examination, shall be forthwith recalled and be cancelled:

Provided that no action shall be taken under this rule without giving the applicant an opportunity of being heard in the matter.

- (2) Anybody aggrieved by the decision of the Chairperson may within thirty days of the date of the receipt of the order, may appeal to the Government whose decision thereon shall be final.

30. **Keeping of applications and copies of testimonials.** – Applications and copies of testimonials submitted by candidates shall be kept in the office of the Chairperson or by the agency authorised to conduct the examination, as decided by the Committee. Original testimonials shall be returned to the candidate as soon as possible.

CHAPTER VII ELIGIBILITY CRITERIA

31. **Age, qualifications and experience for Second Class Boiler Attendant candidates.**– A candidate for a certificate of competency as a Boiler Attendant of the Second Class shall not be less than twenty years of age and shall not be admitted to the examination unless he:-
- (a) has passed matriculation or equivalent examination from a recognised institution or board ; and.
 - (b) has served for not less than two years, in the capacity of a Fireman or Operator or Pump man or Water man or an Assistant Fireman or Assistant Operator on a steam boiler; or
 - (c) has served for not less than three years as a fitter where boilers are manufactured or erected, operated or repaired. Out of this he should have served as Assistant Fireman for at least one year; or
 - (d) has served for not less than two years on small industrial boilers, in case of Industrial Training Institutes certificate holder.
32. **Age, qualifications and experience requirement for First Class Boiler Attendant candidates.** – A candidate for a certificate of competency as a Boiler Attendant of the first class shall not be less than twenty two years of age and he possesses a certificate of the second class and shall not be admitted to the examination unless he-
- (a) has served for not less than two years, as boiler attendant with second class certificate of competency as sole working charge of a boiler whose rated heating surface is not less than fifty square meters; or
 - (b) produces from the head of an industrial or technical institution, a certificate stating that he has completed a three years course of training, one year of which must have been as an apprentice in a steam power plant of a mill or a factory or an engineering workshop where engines and boilers are repaired or made and in addition has served for not less than one year as sole working charge of a boiler of not less than fifty square meters of heating surface with second class Boiler Attendant certificate of competency;
or
 - (c) has worked for not less than two years as Fireman or Assistant Fireman with second class Boiler Attendant certificate of competency under the charge of first class Boiler Attendant on boiler having heating surface of more than fifty square meters.

CHAPTER VIII SYLLABUS FOR EXAMINATION

33. **Syllabus for Second Class Boiler Attendant.** – A candidate, in order to be qualified for a certificate of competency of the Second Class, shall, inter alia, satisfy the examiners that-

- (a) he clearly understands-
- (i) the working and management of a steam boiler and economiser ;
 - (ii) the use and purpose of the various valves, cocks, mountings and fittings ;
 - (iii) the precautions to be taken and procedure to be observed before starting fires and when raising steam ;
 - (iv) the use of a feed pump and injector ;
 - (v) the reading of the pressure gauge ;
 - (vi) the need for periodical cleaning and pure water supply and for prevention of scale or other deposits on heating surfaces ;
 - (vii) the need for periodical inspection of boilers and the manner in which they should be prepared for thorough inspection, hydraulic test and steam test ;
 - (viii) the precautions to be taken before entering or allowing any person to enter a boiler that is connected to another boiler under steam ;
 - (ix) the use of the best means of firing for the prevention of smoke ;
 - (x) the danger of water lodging in steam pipes and the precautions to be observed in draining ;
 - (xi) the procedure to be followed in the event of shortage of water, bulging or fracture of furnaces or flat plates or bursting of tubes or of any accident to a boiler or steam pipe ;
 - (xii) precautions to be taken when starting an economiser to work after a period of rest ; and
 - (xiii) procedure to be adopted in bringing an economiser into commission and also for putting it out of commission while the boiler is on steam ; and that-
- (b) he is able -
- (i) to stoke a boiler including cleaning and banking fires in a workmanlike manner ;

- (ii) to explain how to avoid incomplete combustion ;
- (iii) to blow through and test the correctness of water gauge glasses and test cocks;
- (iv) to replace a gauge glass and show how a false water-level might be shown ;
- (v) to ease a safety valve and use a blow down cock or valve ;
- (vi) to adjust a high steam and low water safety valve and renew a fusible plug ;
- (vii) to pack pump or valve chest glands ;
- (viii) to grind and adjust cocks and valves ;
- (ix) to take a feed pump or injector to pieces and replace in working order ; and
- (x) to handle the appliances provided for keeping the economiser clean.

34. **Syllabus for First Class Boiler Attendant.** – A candidate, in order to be qualified for a certificate of competency of the First Class, shall satisfy the examiners that in addition to the subjects specified for candidates for certificate of competency of the Second Class, he has at least a rudimentary knowledge of the principal elementary facts relating to combustion, heat and steam ; and that he is able to explain inter alia -

- (a) the working and management of steam boilers, super heaters and economiser;
- (b) the use and purpose of various valves, cocks, mountings, fittings and other safety devices;
- (c) description and the functions of feed pumps, feed injector, feed regulators, feed water filters and softeners, feed heaters, air heaters, calorifiers, steam accumulators, force draught, induced draught and automatic draught control devices;
- (d) answer to question on fact relating to combustion, heat and steam and calculate consumption of coal and water and quantity of steam that may be generated from a given grate area of heating surface under the various systems of draught, in any land boiler and also calculate the overall efficiency of boiler plant;
- (e) the significance of principal appliance in use for the prevention of smoke and the principle on which they work and give description of the principal mechanical stokers, pulverisers, gas, oil and pulverized fuel systems in use;
- (f) the need for periodical cleaning, the methods used for prevention of scale or other deposits of heating surfaces and the necessity for maintaining a certain PH value in feed water;
- (g) detection of defects in boilers and state the means and methods of rectifying them;

- (h) the precautions to be taken for starting a boiler and economiser from cold or from banked fire condition;
- (i) the procedure to be adopted in putting an economiser out of commission while the boiler is on steam;
- (j) the methods adopted for the achievement of fuel economy and the use of various instruments used in a Boiler House;
- (k) the principal causes and effects of corrosion and incrustation and the usual remedies employed;
- (l) the object of the use of water softeners;
- (m) the principles on which feed pumps and injectors work ;
- (n) the principles on which appliances for the prevention of smoke works ; and
- (o) the purpose of super-heaters, economisers, feed heaters, feed filters, forced and induced draft appliances and mechanical stokers.

CHAPTER IX

MODE OF EXAMINATION

35. **Nature of Examination.** – Examination for certificate of competency as a Boiler attendant shall be of such nature as to test the practical ability and technical knowledge of the candidates to be in charge of steam generating Boilers.
36. **Subjects for Examinations.** – Examination shall be conducted in the following manner:-
- (a) An oral examination to answer questions pertaining to boiler practice; and
 - (b) if required by the examiner to demonstrate in the examination room or in a workshop his ability to carry out the practical aspects of his duties in a Boiler House.
37. **Fee for Examination.** – (1) A candidate for examination for certificate of competency shall pay the fee as follows:-
- (a) Examination for First Class Certificate: Rs.1,000/-(Rupees one thousand) plus Goods and Services Tax, as applicable ;
 - (b) Examination for Second Class Certificate: Rs.600/-(Rupees six hundred) plus Goods and Services Tax, as applicable ;
- (2) Fee shall be paid by treasury challan or such other mode of payment including on-line mode of payment, as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination.
38. **Refund of Fee.** – A candidate once admitted to an examination under these rules shall not be entitled to any refund of fee and when a candidate is unavoidably absent from the examination on the date fixed, the Chairperson may allow him to appear without payment of a second fee at the next examination.

- 39 **ee of candidate found ineligible.** – A candidate who has paid the examination fee but is found ineligible for an examination shall forfeit the said fee.

CHAPTER X

GRANT OF CERTIFICATES.

40. **Grant of certificate of competency.**– Details of candidates who pass the examination shall be notified by the Committee and candidates shall be granted certificate of competency after declaration of result .
41. **Form of certificate.** – A certificate of competency as a Boiler Attendant shall be in Form ‘B’ or Form ‘C’ as applicable and it may be issued either in physical or digital form.
42. **Validity of Certificates.**–(1) A certificate of competency as a boiler attendant granted to a candidate by any Committee shall be valid all over the India provided that a person holding a certificate of competency as a boiler attendant shall alongwith a copy of his certificate of competency give intimation including through any on-line mode or by e-mail to the Chief Inspector or Director of Boilers of the concerned Government in which he or she applies for services or in case of change of services from one State to another.
- (2) A certificate of competency shall be valid till the certificate holder attains the age of sixty-five years.
43. **Identification requirement.**– Every certificate granted under these rules shall bear a bust photograph of the holder thereof previously submitted or uploaded, as the case may be, along with his application under rule 26 and his signature and such other particular as may be required for the purpose of identification.
44. **Grant of duplicate certificate.**– (1) Whenever the holder of a certificate proves to the satisfaction of the chairperson that the certificate granted to him under these rules has been lost, stolen or destroyed or mutilated , he shall be granted on payment of a fee of Rs.200/-(Rupees two hundred only), a duplicate certificate to which by the record so kept as aforesaid, he appears to be entitled, which shall have for all purpose the same validity as the original certificate and the words Duplicate Certificate shall be written on such certificate. Fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode of payment including on-line mode of payment, as the Government may notify in this behalf
- (2) If on enquiry, the Secretary is satisfied that any statement made by the applicant for the issue of duplicate certificate is false, he shall report the case to the Committee at its next meeting and the Committee may at its discretion cancel the certificate or permit the grant as aforesaid of a duplicate certificate either immediately or after such period not exceeding twelve months as the Committee may think fit having regard to the circumstances of each case.
45. **Application for duplicate certificate.** – Application for issuance of a duplicate certificate shall be made to the Chairperson along-with a copy of the First Information Report lodged with the police in

this regard and a self-declaration stating that the certificate granted under these rules, has been lost.

46. **Invalidity of original certificate.**— On the issue of a duplicate certificate, the original certificate shall cease to be valid, and shall if in the possession of the holder thereof be returned to the office of the Chairperson for cancellation.
47. **Record of duplicate certificate.**— The details of all the duplicate certificates granted under these rules shall be recorded in the office of the Chairperson.

CHAPTER XI

ENQUIRY

48. **Enquiry regarding certificate holders.**— If the District Magistrate or the Chief Inspector or Director of Boilers has reason to believe from any cause whatsoever, that an enquiry should be made into allegations of incompetence, drunkenness, misconduct or negligence of duties on the part of a boiler Attendant holding Certificate of Competency under these rules, they shall either themselves make such enquiry or cause it to be made by their subordinate officers, and
- (a) the proceedings shall be held in the presence of the person whose conduct is the subject of enquiry and he shall have an opportunity to make any statement and produce any evidence in his defence;
- (b) the proceeding of any such enquiry together with the findings thereon by the officer conducting the enquiry shall be forwarded by that officer for decision of the Committee.
49. **Surrender of certificate.**— When an enquiry is being conducted under rule 48, the holder of such certificate shall, on demand by the officer in charge of the enquiry, forthwith surrender his certificate to the said officer pending the result of such enquiry.
50. **Decision of the Committee.**— (1) On receipt of the proceeding of the enquiry conducted under rule 48 together with findings thereon, the Committee may, by order in writing allow the certificate to stand or suspend it for such period as it thinks fit or may cancel the certificate permanently
- (2) Before taking any action under sub-rule (1), the candidate shall be given an opportunity of being heard in the matter.
- (3) Any person aggrieved by the decision of the Committee may, within thirty days of the date of the receipt of the order, appeal to the government whose decision thereon, shall be final.
- (4) A copy of the order or decision under sub-rule (1) or sub-rule (3), as the case may be, shall also be sent by the Committee to the, —
- (a) Chief Inspectors or Directors of Boilers of all the other Governments, and
- (b) Technical Adviser.

FORM 'A'

(See rule 26)

Application for certificate of competency as Boiler Attendant**Part I** – Name etc. of the applicant.

1. Name (in full).
2. Father's Name.
3. Nationality.
4. Date of Birth.
5. Place of Birth
7. Permanent Address

| |
|------------|
| Photograph |
|------------|

7. Whether appeared in any previous examination
8. If so, details of place and date

Part II: PARTICULARS OF ALL CERTIFICATES SUBMITTED

| Sl. No. | Number of the Certificate | Class of Certificate | Place of issue | Date of issue | If at any time suspended or cancelled, and if so state by whom | Date of suspension or cancellation | Reasons of suspension or cancellation |
|---------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |

PART III: LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENTS OF SERVICE

(the testimonials to be numbered serially corresponding to the numbers given in column (1) below)

| Serial Number of testimonials | Date of testimonials | Name and designation of person signing the testimonials | Address of factory or Workshop where employed | Number, type and heating surface of boilers worked on | Capacity in which employed |
|-------------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

| Service of Applicant | | Period for which employed | | | Not to be filled in by the applicant | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|------|--------------------------------------|---------|
| Date of commencement | Date of termination | Years | Months | Days | Initial of Verifier | Remarks |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | |

Total Service:

Time served for which certificates are produced:

Time served for which no certificates are produced:

Part IV – DECLARATION TO BE MADE BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the statements made in Part I, II and III of this Form are correct and true to the best of my knowledge and belief; and that the papers enumerated in Part II and submitted with this form are true and genuine documents and further that the copies of the documents submitted with this form are true and correct. I further declare that the statements made in Part III contain a true and correct account of the whole period of my service without exception, and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Dated at _____ this _____ day of _____ 20_____

Signature of the applicant

Present Address

Signed in the present of

Signature.....

Designation

NOTE :- 1. Every application shall be accompanied with the requisite fee by a treasury challan or such other mode of payment including on-line mode of payment, as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination.

2. In case of off-line applications, two copies of a recent bust photograph of the applicant (Size 50mm x 65mm) shall accompany the application which shall bear the signature of the applicant on the back.

3. Any, person making a false statement for the purpose of the admission to the examination renders himself liable to prosecution.

4. Incomplete application is liable to be rejected.

PART V

(Not to be filled by the applicant)

Certified that Shri _____ has been examined for Certificate of Competency as First Class/ Second Class Boiler Attendant and that he has passed/failed in the examination held during

Issue of Certificate of Competency as First Class/ Second Class Boiler Attendant when certified to have passed

Certificate No. _____ issued on _____ and duplicate recorded.

(Secretary)
Committee of Examiners

FORM B**(See Rule 41)****(First Class Boiler Attendant Certificate of Competency)**

(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2025)

No.... of 20....
 Mr./Ms..... Date of Birth....., at present residing at
 upon having satisfied
 the Committee of Examiners of his competency to fulfill the duties of First Class Boiler Attendant, is granted
 under the Boiler Attendants' Rules, 2025, this certificate of competency as a First Class Boiler Attendant
 authorising him to have charge of a single boiler with steam pipes of any type or capacity or two or more boilers
 with steam pipes in a battery or separated, the total heating surface of which does not exceed 1000 square
 meters, provided that such boilers shall be situated within a radius of 30 meters in the same premises and belong
 to one owner

The certificate of competency shall be valid till the certificate holder attains the age of sixty five years.

Dated at this Day of20.....

Secretary
 Committee of Examiners

Chairperson
 Committee of Examiners

PHOTO

Description Roll

- 1.Date of Birth
2. Permanent address
3. Nationality
4. Height (without shoes)
- 5.Marks of Identification
6. Left Thumb impression
- 7.Signature of applicant

Endorsements _____

FORM C
(See Rule 41)

(Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency)
(Granted under rule 41 of the Boiler Attendants' Rules, 2025)

No.... of 20....

Mr./Ms..... Date of Birth....., at present residing at
..... upon having satisfied
the Committee of Examiners of his competency to fulfill the duties of Second Class Boiler Attendant, is granted
under the Boiler Attendants' Rules,2025, this certificate of competency as a Second Class Boiler Attendant
authorising him to have charge of a single boiler with steam pipes of any type , the heating surface of which
does not exceed 200 square meters. He may, however attend to a battery of boilers consisting of not more than
three connected boilers(not exceeding 150 square meters in aggregate of total heating surface), provided he is
assisted the number of fireman as considered necessary by the Chief Inspector of Boilers.

The certificate of competency shall be valid till the certificate holder attains the age of sixty five years.

Dated at this Day of20.....

Secretary
Committee of Examiners

Chairperson
Committee of Examiners

Description Roll

PHOTO

- 1.Date of Birth
2. Permanent address
3. Nationality
4. Height (without shoes)
- 5.Marks of Identification
6. Left Thumb impression
- 7.Signature of applicant

Endorsements _____

[F. No. P-30015/4/2025-Boiler]

DR. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.